पीठासीन अधिकारी :– श्योराम आर.ए.एस.

राजस्व वादपत्र संख्या :–69/2021

2. मोतीसिंह पुत्र नेपालसिंह जाति राजपूत निवासी दुधवाखारा तहः व जिला चुरू।

..... प्रार्थी

बनाम

3. राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला ।

.... अप्रार्थी

उपस्थित अभिभाषकगण :–

1. प्रार्थी स्वंय उपस्थित।
4. पैरोकारराज उपस्थित।

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट

आदेश दिनांक :–11.10.2022

यह प्रार्थी का प्रार्थनापत्र न्यायालय हाजा प्रस्तुत हुआ। प्रार्थनापत्र से संबंधित संक्षिप्त विवरण इसप्रकार है प्रार्थी के नाम से वाके चक 36 केवाईडी के मु0नं0 161/46 के किला नं0 3 ता 8, 13 ता 18, 24, 25 सालम कुल तादादी 14.00 बीघा (3.5406 है0)मयखाला कमाण्ड/अनकमाण्ड व मु0नं0 161/56 के किला नं0 2 ता 7 सालम कुल तादादी 6.00 बीघा (1.5174 है0) कमाण्ड इसप्रकार दोनो मुरब्बो में कुल 20. 00 बीघा (5.0580 है0) कमाण्ड/अनकमाण्ड कृषि भूमि बतौर भूमिहीन दिनांक 30.3.76 को पुख्ता आवंटन हुई थी। प्रार्थी के पिता का नाम सही नाम नेपालसिंह है जो प्रार्थी के आवंटन आदेश में अंकित है लेकिन प्रार्थी को पता नहीं चला कि कब और कैसे उसकी उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी के पिता का नाम नेपालसिंह के स्थान पर भोपालसिंह अंकित हो गया। प्रार्थी ने उक्त भूमि के रिकॉर्ड में अपने पिता का नाम भोपालसिंह की जगह वास्तविक एवं रिकॉर्डेड नाम नेपालसिंह करवाने का निवेदन किया है।

सर्वप्रथम प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार खाजूवाला से रिपोर्ट पत्रांक 256 दिनांक 16.3.22 प्राप्त हुई जिसके अनुसार सम्वत् 2064 से आदिनांक तक उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में मोतीसिंह पुत्र भोपालसिंह जाति राजपूत ही दर्ज है एवं टीआरए सैल रजिस्टर में मोतीसिंह पुत्र भोपालसिंह अंकित है।

प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थनापत्र को साबित करने [illegible] में चुनाव परिचयपत्र, ड्राइविंग लाईसेंस, शपथपत्र एवं तहसीलदार प्रमाण [illegible] चूं [illegible] अपनी दूसरी जमीन दूधवाखारा ख.नं. 57 की जमाबंदी की छायाप्रति [illegible] द्वारा प्रार्थनापत्र में वर्णित रकबे की जिला अभिलेखागार कलेक्ट्रेट, बीकानेर के क्रमांक 2214 दिनांक 15.07.22 से प्राप्त मूल आवंटन की प्रमाणित प्रति पेश की, जिसके प्रार्थनापत्र पत्र, मय सहकाम, आवंटन आदेश में प्रार्थी का नाम मोतीसिंह पुत्र नेपालसिंह निः दुधवाखारा तहः व जिः चुरू अंकित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.11.23 14:11:24 IST
Reason: SelfAttested

बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थनापत्र के कथनों को दोहराते हुवे मूल आवंटन पत्रावली व तहसीलदार खाजूवाला की रिपोर्ट व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थनापत्र स्वीकार करने का निवेदन किया। उक्त रकबे की मूल आवंटन पत्रावली नकल और तहसीलदार खाजूवाला की रिपोर्ट का गहनता से अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया गया। मूल आवंटन पत्रावली में प्रार्थी नाम मोतीसिंह पुत्र नेपालसिंह राजपूत निः दूधवाखारा तहः व जिला चुरू अंकित है। मूल आवंटन पत्रावली के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है प्रार्थी के आवेदनपत्र, आवंटन आदेश में सही नाम अंकित था किन्तु बाद में राजस्व रिकॉर्ड अंकन में लिपिकीय त्रुटि से प्रार्थी के पिता का नाम भोपालसिंह गलत दर्ज हो गया। अतः तहसीलदार खाजूवाला की रिपोर्ट व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज व मूल आवंटन पत्रावली प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को साक्ष्य/सबूत के तौर पर साबित करते हैं इसलिए प्रार्थी के पिता का नाम दुरस्त किया जाना न्यायोचित है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र तहसीलदार रिपोर्ट व मूल आवंटन पत्रावली के आधार पर धारा 136 एलआरएक्ट व धारा 151 सीपीसी में प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुवे स्वीकार किया जाकर तहसीलदार खाजूवाला को आदेश किया जाता है कि प्रार्थी की उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम मोतीसिंह पुत्र भोपालसिंह जाति राजपूत निः दूधवाखारा की जगह मोतीसिंह पुत्र नेपालसिंह जाति राजपूत निः दूधवाखारा तहः व जिला चुरू नियमानुसार दर्ज किया जावे। शेष प्रविष्टिया यथावत रखी जावे। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला आदेशित की पालना सुनिश्चित करें पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल–दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक ..... को सरे इजलास सुनाया गया।

(श्योराम),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.11.23 14:11:24 IST
Reason: SelfAttested